राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(24)ग्रावि/नरेगा/आ.यू.बी./2010–11 जयपुर, दिनांकः 26 MAR 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रेल्वे अण्डर ब्रिज (आर.यू.बी/अण्डर पास) निर्माण करवाये जाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं कि बीकानेर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्थानीय मांग अनुसार वार्षिक कार्य योजना में मांग परिलक्षित होने पर निर्मित किए गए रेल्वे अण्डर पास की तर्ज पर अन्य जिलों में भी उपरोक्तानुसार एवं आवश्यकतानुसार रेल्वे अण्डर ब्रिज/अण्डर पास महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित कराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली कार्य पद्वति के संबन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते है :–

(1) इन कार्यो हेतु कार्यकारी संस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग होगा।

(2) ये कार्य नरेगा अधिनियम अन्तर्गत अनुमत श्रेणी 8 (ग्रामीण संयोजकता) के तहत स्वीकृत किये जायेंगे।

(3) योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो पर अकुशल श्रमिक के रूप में आवश्यक रूप से केवल नरेगा जॉबकार्डधारियों को ही नियोजित किया जाना होगा।

(4) श्रम सामग्री अनुपात 60 : 40 संधारित किया जावे। सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक राशि को अन्य योजना से डवटेल करने के प्रयास किये जावे।

(5) समस्त कार्य नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं की पालना करते हुए किया जायेगा।

भवदीय,

23/3/12
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. परावि, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सा.नि. विभाग।
4. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, ग्रा.वि.परावि, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, सा.नि. विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस